

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत

आदेश संख्या/प्रार0शि0(बेसिक)/71 / स्था0/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश प्र0अ0(रा0उ0प्रा0वि0)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापक का तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|----------|--------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री अम्बा दत्त | प्र0अ0 | रा0उ0प्रा0वि पारस | दुर्गम | रा0उ0प्रा0वि0 ईजट्टाडूंगरा, पाटी | दुर्गम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी0एस0 बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2)/ 1258-68 /स्थाना0/2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत
 आदेश सं०/प्रार०शि०(बेसिक)/ 72 /स्था०/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022
 कार्यालय ज्ञाप/अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश (दुर्गम से सुगम)प्र०अ०(रा०उ०प्रा०वि०)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|----------|--------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | श्री शंकर नाथ महन्त | प्र०अ० | रा०उ०प्रा०वि० चौड़ागूठ(पाटी) | दुर्गम | रा०उ०प्रा०वि० डुंगरासेठी(चम्पावत) | सुगम |
| 02 | श्री सुरेश चन्द्र परगाई | प्र०अ० | रा०उ०प्रा०वि० परेवा(पाटी) | दुर्गम | रा०उ०प्रा०वि० मंगोली(लोहाघाट) | सुगम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक नियमानुसार अनुमन्य. कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी०एस० बिष्ट)
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
 चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2)/1269-79/स्थाना0/2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत
 आदेश सं०/प्रार०शि०(बेसिक)/ 73 / स्था०/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022
कार्यालय ज्ञाप/अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम)स०अ० (विज्ञान)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (विज्ञान) के पदों पर कार्यरत् निम्नांकित स०अ० (रा०उ०प्रा०वि०) को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनकम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|--------|--------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | श्रीमती हीरा ओली | स०अ० | रा०उ०प्रा०वि० सिलाड(चम्पावत) | सुगम | रा०उ०प्रा०वि० बुडहम (चम्पावत) | दुर्गम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित स०अ० को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले स०अ० नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित अध्यापक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले अध्यापक के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी०एस० बिष्ट)
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
 चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2)/1280-1290/स्थाना0/2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत
आदेश सं०/प्रार०शि०(बेसिक)/74/स्था०/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप/अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम)स०अ० (भाषा)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (भाषा) के पदों पर कार्यरत् निम्नांकित स०अ० (रा०उ०प्रा०वि०) को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|--------|--------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | श्रीमती विद्यावती जोशी | स०अ० | रा०उ०प्रा०वि० चौडाढेक(लोहाघाट) | सुगम | रा०उ०प्रा०वि० टांटा (लोहाघाट) | दुर्गम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-


1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित स०अ० को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले स०अ० नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित स०अ० द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले अध्यापक के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी०एस० बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2)/1293-1282/स्थाना0/2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित स0अ0 को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।


जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत

आदेश सं०/प्रा०शि०(बेसिक)/ 75 /स्था०/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप/अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम)स०अ० सामान्य

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (सामान्य) के पदों पर कार्यरत् निम्नांकित स०अ० (रा०उ०प्रा०वि०) को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|----------|--------------------------|------|------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | श्रीमती रेखा पाल | स०अ० | रा०बा०इ०का०टनकपुर (चम्पावत) | सुगम | रा०उ०प्रा०वि० कूण (पाटी) | दुर्गम |
| 02 | श्रीमती जानकी आर्या | स०अ० | रा०उ०प्रा०वि० डूंगरासेठी (चम्पावत) | सुगम | रा०उ०प्रा०वि० आमडा (चम्पावत) | दुर्गम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-


1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित स०अ० को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले स०अ० नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित स०अ०द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले स०अ०के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी०एस० बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा०शि०बेसिक(सेवायें-२)/1293-1303
/स्थाना०/2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित सहायक अध्यापक को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।


जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
चम्पावत ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत
आदेश संख्या/प्रार0शि0(बेसिक)/ 76 /अनिवार्य स्था0/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022
कार्यालय ज्ञाप / अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश
(इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग के आधार पर एवं सेवारत पति पत्नी)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/ XXX-2 -22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से **अनुरोध के आधार पर स्तम्भ - 6** में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | स्थानान्तरण की धारा 13 के अनुसार स्था0 हेतु अनुरोध की श्रेणी | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|----------|--------------------------|------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | श्रीमती करुणा गहतोड़ी | स0अ0 | मनसिक रोग से विकसित बालिका की माता | रा0उ0प्रा0वि0 निडिल | दुर्गम | रा0उ0प्रा0वि0 उचौलीगोट | सुगम |
| 02 | श्री रमेश चन्द्र जोशी | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति पत्नी | रा0उ0प्रा0वि0 छन्दा | दुर्गम | रा0उ0प्रा0वि0 देवराडी | सुगम |
| 03 | श्री कल्याण चन्द्र | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति पत्नी | रा0उ0प्रा0वि0 मौराडी | दुर्गम | रा0उ0प्रा0वि0 सिलाड | सुगम |
| 04 | श्री दिनेश सिंह | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति पत्नी | रा0क0उ0प्रा0वि0 सुल्ला | दुर्गम | रा0उ0प्रा0वि0 दुधपोखरा | सुगम |
| 05 | श्री सतीश चन्द्र | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति पत्नी | रा0उ0प्रा0वि0 आमनी | दुर्गम | रा0क0उ0प्रा0वि0 पाटी | दुर्गम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित स0अ0को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये स0अ0 के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

4. अवमुक्त होने वाले स0अ0 नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित स0अ0द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले स0अ0के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी0एस0 बिष्ट) 15/3/22
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2)/ 1304-14 /स्थाना0/2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
10. संबंधित सहायक अध्यापक को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत
 आदेश संख्या/प्रा0शि0(बेसिक)/ 77 /अनिवार्य स्था0/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022
 कार्यालय ज्ञाप / अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश दुर्गम से सुगम स0अ0(विज्ञान) रा0उ0प्रा0वि0

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/ XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में (विज्ञान) के पदों पर कार्यरत् निम्नांकित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्तम्भ -6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क.सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|-------|--------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | श्री सुन्दर राम | स0अ0 | रा0उ0प्रा0वि0 कूण | दुर्गम | रा0क0उ0प्रा0वि0 पाटी | सुगम |
| 02 | श्री विपिन चन्द्र पन्त | स0अ0 | रा0उ0प्रा0वि0 रौशाल | दुर्गम | रा0उ0प्रा0वि0 दुदपोखरा | सुगम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित स0अ0को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले स0अ0 नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित स0अ0 द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले स0अ0 के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी0एस0 बिष्ट) 10/7/22
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
 चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा०शि०बेसिक(सेवायें-2)/1315-1315/स्थाना०/2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित सहायक अध्यापक को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)

चम्पावत ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत

आदेश सं०/प्रार०शि०(बेसिक)/ 78 /अनिवार्य स्था०/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप/अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश (दुर्गम से सुगम) स०अ० भाषा

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर कार्यरत् निम्नांकित सहायक अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|--------|--------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | श्री सहदेव पुनेठा | स०अ० | रा०उ०प्रा०वि० सुतेडा(बाराकोट) | दुर्गम | रा०क०उ०प्रा०वि० खर्ककार्की(चम्पावत) | सुगम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित सहायक अध्यापक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले स०अ० नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित स०अ० द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले स०अ० के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी०एस० बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)
चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या / प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2) / 1326-36 / स्थाना0 / 2022-23 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित स0अ0 को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)

चम्पावत ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत

आदेश सं०/प्रार०शि०(बेसिक)/ 79 /स्था०/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप/अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम) (प्र०अ०प्रा०वि०)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर कार्यरत् निम्नांकित प्र०अ० (रा०प्रा०वि०) को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | श्रीमती मंजू विश्वकर्मा | प्र०अ० | रा०प्रा०वि० गुदमी | सुगम | रा०प्रा०वि० कोटसारी | दुर्गम |
| 02 | श्रीमती हीरा गिरी | प्र०अ० | रा०प्रा०वि० सुयालखर्क | सुगम | रा०प्रा०वि० सिण्डाला | दुर्गम |
| 03 | श्री नसीम अहमद | प्र०अ० | रा०प्रा०वि० गैडारखाली | सुगम | रा०प्रा०वि० पल्सों | दुर्गम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये प्र०अ० के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले प्र०अ० नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित प्र०अ० द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले प्र०अ० के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी०एस० बिष्ट)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)

चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2)/1337-47/स्थाना0/2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित प्र0अ0 को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत

आदेश संख्या/प्रार0शि0(बेसिक)/ ९० / स्था0/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022


कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश प्र0अ0(प्रा0वि0)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत् निम्नांकित प्रधानाध्यापक का तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | स्थानान्तरण की धारा 13 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु अनुरोध की श्रेणी | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|--------|--------------------------|--------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | श्रीमती गीता देवी | प्र0अ0 | राज्य चिकित्सा परिषद से स्वयं का चिकित्सा प्रमाण-पत्र | रा0प्रा0वि0 थपलियालखे डा | सुगम | रा0प्रा0वि0 बनबसा कैनाल | सुगम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये प्र0अ0 के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले प्र0अ0 नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित प्र0अ0 द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले प्र0अ0 के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।


 (सी0एस0 बिष्ट) 10/7/22
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
 चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2)/1348-58/स्थाना0/2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत

आदेश सं०/प्रार०शि०(बेसिक)/ 81 /स्था०/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप/अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश (दुर्गम से सुगम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापकों राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर स्तम्भ - 6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|----------|--------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | श्री दीवान नाथ गोस्वामी | प्र०अ० | रा०प्रा०वि०गल्लागांव | दुर्गम | रा०प्रा०वि० धौनरावत | सुगम |
| 02 | श्रीमती लक्ष्मी उपाध्याय | प्र०अ० | रा०प्रा०वि० गुमौद | दुर्गम | रा०प्रा०वि०झलानदेव | सुगम |
| 03 | श्री त्रिलोचन भट्ट | प्र०अ० | रा०प्रा०वि०गूठाअनरकियां | दुर्गम | रा०प्रा०वि० कांडा | सुगम |
| 04 | श्री भैरव गिरि | प्र०अ० | रा०प्रा०वि० खीडी | दुर्गम | रा०प्रा०वि०पऊ | सुगम |
| 05 | श्रीमती अर्चना जोशी | प्र०अ० | रा०प्रा०वि० छन्दा | दुर्गम | रा०प्रा०वि०नाकोट | सुगम |
| 06 | श्री जितेन्द्र सिंह | प्र०अ० | रा०प्रा०वि० सन्तोला | दुर्गम | रा०प्रा०वि०सुयालखर्क | सुगम |
| 07 | श्री पान सिंह कुल्याल | प्र०अ० | रा०प्रा०वि० गागरी | दुर्गम | रा०प्रा०वि०सूखीढांग | सुगम |
| 08 | श्री फतेह सिंह मेहता | प्र०अ० | रा०प्रा०वि० चामी | दुर्गम | रा०प्रा०वि०बनगांव | सुगम |
| 09 | श्रीमती माहेश्वरी | प्र०अ० | रा०प्रा०वि०तल्लाबापरू | दुर्गम | रा०प्रा०वि०नाकोट | सुगम |
| 10 | श्री कमला नाथ गोस्वामी | प्र०अ० | रा०प्रा०वि० गढकोट | दुर्गम | रा०प्रा०वि०सल्ला | सुगम |
| 11 | श्री चिरजी लाल वर्मा | प्र०अ० | रा०प्रा०वि० गवाई | दुर्गम | रा०प्रा०वि० थपलियालखेडा | सुगम |
| 12 | श्री मोहन चन्द्र | प्र०अ० | रा०प्रा०वि०बेटटा | दुर्गम | रा०प्रा०वि०चैकुनीबोरा | सुगम |
| 13 | श्रीमती मीता वर्मा | प्र०अ० | रा०प्रा०वि०पल्सों | दुर्गम | रा०प्रा०वि०कुलेठी | सुगम |
| 14 | श्री विजय सिंह परवाल | प्र०अ० | रा०प्रा०वि०तल्लीचौडा | दुर्गम | रा०प्रा०वि०चौडाकोट | सुगम |
| 15 | श्री राजेश सार्की | प्र०अ० | रा०प्रा०वि०नौलिया | दुर्गम | रा०प्रा०वि०मल्लाढेक | सुगम |
| 16 | श्री चन्द्र शेखर | प्र०अ० | रा०प्रा०वि०कोटना | दुर्गम | रा०प्रा०वि०जौलाडी | सुगम |
| 17 | श्री पूरन प्रकाश उप्रेती | प्र०अ० | रा०प्रा०वि०चौडासिल्योडी | दुर्गम | रा०प्रा०वि० ऐडीसेरा | सुगम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये प्र०अ० के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

4. अवमुक्त होने वाले प्र0अ0 नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले प्रधानाध्यापक के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी0एस0 बिष्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2)/ 1359-69 /स्थाना0/2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत

आदेश संख्या/प्रार0शि0(बेसिक)/ 82 / स्था0/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश स0अ0(प्रा0वि0)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में स0अ0 राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक (रा0प्रा0वि0) का तत्काल प्रभाव से स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनकम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क. सं. | अध्यापक/ अध्यापिका का नाम | पद | स्थानान्तरण की धारा 13 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु अनुरोध की श्रेणी | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|--------|---------------------------|------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | श्रीमती लीला देवी | स0अ0 | स्वयं की विकलांगता | रा0प्रा0वि0 फिरखोला | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 स्टॉंगफार्म | सुगम |
| 02 | श्री सुनील कुमार आर्या | स0अ0 | स्वयं की विकलांगता | रा0प्रा0वि0 कैडाईजर | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 नायकगोट | सुगम |
| 03 | श्रीमती मीतू वर्मा | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति-पत्नी | रा0प्रा0वि0 सिण्डाला | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 लटोली | सुगम |
| 04 | श्री शंकर सिंह अधिकारी | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति-पत्नी | रा0प्रा0वि0 गडयूडा नवीन | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 पाटनपाटनी | सुगम |
| 05 | श्री रितू पंत जोशी | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति-पत्नी | रा0प्रा0वि0 हरखेडा | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 दयारतोली, बाराकोट | दुर्गम |
| 06 | श्रीमती रेनू | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति-पत्नी | रा0प्रा0वि0 अर्नपा | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 जैरोली | दुर्गम |
| 07 | श्रीमती मंजू गोस्वामी | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति-पत्नी | रा0प्रा0वि0 देवकूडा | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 कोलीढेक | सुगम |
| 08 | श्रीमती प्रियंका | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति-पत्नी | रा0प्रा0वि0 रिखोली | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 बनबसा कैनाल | सुगम |
| 09 | श्री हेम चन्द्र पाण्डेय | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति-पत्नी | रा0प्रा0वि0 सिमली | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 तडीगांव | दुर्गम |
| 10 | श्रीमती नीतू आर्या | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति-पत्नी | रा0प्रा0वि0 खुतेली | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 बाजरीकोट | सुगम |
| 11 | रश्मि टम्टा | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति-पत्नी | रा0प्रा0वि0 जैरोली | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 मनिहारगोट | सुगम |



| | | | | | | | |
|----|--------------------------|------|----------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 12 | श्री देवेन्द्र कुमार महर | स0अ0 | सेवा में कार्यरत पति-पत्नी | रा0प्रा0वि0 सल्यानी | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 मिरतोली | दुर्गम |
|----|--------------------------|------|----------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित स0अ0 को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये स0अ0 के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले स0अ0 नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित स0अ0 द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले सहायक अध्यापक के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी0एस0 बिष्ट)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2)/1352-~~3303~~स्था/2022-23 तददिनांकित ।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित सहायक अध्यापक को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत
 आदेश सं०/प्रार०शि०(बेसिक)/ 83 /स्था०/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022
कार्यालय ज्ञाप/अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश (दुर्गम से सुगम)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में स०अ० राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर कार्यरत् निम्नांकित स०अ० को तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर स्तम्भ - 6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|--------|--------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | श्री बृजेश सिंह कुंवर | स०अ० | रा०प्रा०वि० नहरूघाट | दुर्गम | रा०प्रा०वि० कोयाटी | सुगम |
| 02 | श्री गिरीश चन्द्र | स०अ० | रा०प्रा०वि० रावलगांव | दुर्गम | रा०प्रा०वि० टनकपुर | सुगम |
| 03 | श्री नवीन चन्द्र | स०अ० | रा०प्रा०वि० बगोटी | दुर्गम | रा०प्रा०वि० मुडियानी | सुगम |
| 04 | श्री भगवान सिंह अधिकारी | स०अ० | रा०प्रा०वि० बन्जवाड | दुर्गम | रा०प्रा०वि० मनिहारगोट | सुगम |
| 05 | श्री बसन्त बल्लभ | स०अ० | रा०प्रा०वि० सांगो | दुर्गम | रा०प्रा०वि० पूनाकोट | सुगम |
| 06 | श्री ईश्वर सिंह पाल | स०अ० | रा०प्रा०वि० आमनी | दुर्गम | रा०प्रा०वि० मनिहारगोट | सुगम |
| 07 | श्री जनरैल सिंह वर्मा | स०अ० | रा०प्रा०वि० भनार | दुर्गम | रा०प्रा०वि० म०गां०टनकपुर | सुगम |
| 08 | श्री रोशन सिंह रावत | स०अ० | रा०प्रा०वि० तल्ला सुल्ला | दुर्गम | रा०प्रा०वि० बेलबन्दगोट | सुगम |
| 09 | श्री प्रभात सिंह | स०अ० | रा०प्रा०वि० सेलाबाग | दुर्गम | रा०प्रा०वि० बस्तियां | सुगम |
| 10 | श्री विपुल पोखरियाल | स०अ० | रा०प्रा०वि० लोजनी | दुर्गम | रा०प्रा०वि० भजनपुर | सुगम |
| 11 | श्रीमती हेमा राय | स०अ० | रा०प्रा०वि० नेत्रसलान | दुर्गम | रा०प्रा०वि० वार्ड नं०-3 टनकपुर | सुगम |
| 12 | श्री हेम चन्द्र पाटनी | स०अ० | रा०प्रा०वि० कमलेडी | दुर्गम | रा०प्रा०वि० कनेडी | सुगम |
| 13 | श्रीमती अनीता पचौरी | स०अ० | रा०प्रा०वि० बमनकूडा | दुर्गम | रा०प्रा०वि० मझेडा (लो०) | सुगम |
| 14 | श्री मंयक पुनेठा | स०अ० | रा०प्रा०वि० जमरसों | दुर्गम | रा०प्रा०वि० गंगनौला | सुगम |
| 15 | श्री राजेन्द्र प्रसाद | स०अ० | रा०प्रा०वि० टांग | दुर्गम | रा०प्रा०वि० दियूरीकठौल | सुगम |
| 16 | श्रीमती चन्द्रा मेहरा | स०अ० | रा०प्रा०वि० जैगांव जैतोली | दुर्गम | रा०प्रा०वि० ललुवापानी | सुगम |
| 17 | श्रीमती गीता खाम्पा | स०अ० | रा०प्रा०वि० पटोली | दुर्गम | रा०प्रा०वि० ढौरजा | सुगम |
| 18 | श्री दिनेश प्रसाद | स०अ० | रा०प्रा०वि० | दुर्गम | रा०प्रा०वि० | सुगम |

AA

| | | | पुनौली | | बेलखेत | |
|----|--------------------------|------|--------------------------|--------|---------------------------------|------|
| 19 | श्री सुरेश चन्द्र जोशी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 चौडासिल्योडी | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 ऐडीसेरा | सुगम |
| 20 | श्री प्रकाश कुमार यादव | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 रूईया | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 वार्ड नं0-3 टनकपुर | सुगम |
| 21 | श्रीमती निर्मला गोस्वामी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 विविल | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 चौडाराजपुरा | सुगम |
| 22 | श्री जीवन चन्द्र जोशी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 सेलाकोटला | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 बस्तियांगूठ | सुगम |
| 23 | श्रीमती सरस्वती अधिकारी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 बल्सों | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 मनिहारगांव | सुगम |
| 24 | श्रीमती वीना टम्टा | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 रौशाल | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 पऊ | सुगम |
| 25 | श्री अरविन्द गढकोटी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 ईजरतोक | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 कलचौडा | सुगम |
| 26 | श्री बलबन्त सिंह | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 जगाधार | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 म0गा0टनकपुर | सुगम |
| 27 | श्री रेनू देवी मेहता | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 चामी | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 डैसली | सुगम |
| 28 | श्री राधेश्याम सिंह | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 फुरकियाझाला | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 देवीपुरा | सुगम |
| 29 | श्रीमती सुशीला बन | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 रमैला | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 वा0नं0-10 टनकपुर | सुगम |
| 30 | श्री आशीष गढकोटी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 सलना | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 म0गा0टनकपुर | सुगम |
| 31 | श्री राजकुमार सिंह बोहरा | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 बगड | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 भजनपुर | सुगम |
| 32 | श्री नदीम अहमद | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 रीठाबडोली | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 वार्ड नं0-10 टनकपुर | सुगम |
| 33 | श्री गोविन्द नाथ | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 रावलगांव | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 चमदेवल | सुगम |
| 34 | श्रीमती शैफाली जोशी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 नाकोटखोलिया | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 ईडाकोट | सुगम |
| 35 | श्री हरीश चन्द्र | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 खरही | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 भजनपुर | सुगम |
| 36 | श्री रवि कुमार जोशी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 मंच | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 म0गा0टनकपुर | सुगम |
| 37 | दानिस | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 टुण्टाविष्ट | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 चौडी | सुगम |
| 38 | श्रीमती गीता पुनेठा | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 तडाग | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 बाराकोट | सुगम |
| 39 | श्री सुनील कुमार | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 पाली | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 फागपुर | सुगम |
| 40 | श्री प्रशान्त कुमार | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 कैन्डूडा | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 म0गा0टनकपुर | सुगम |
| 41 | श्री कमला देवी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 लफडा | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 वा0नं0-3 टनकपुर | सुगम |

24

| | | | | | | |
|----|------------------------------|------|----------------------------|--------|--------------------------|------|
| 42 | श्री सुन्दर नाथ | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 पैडूसेरा | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 पिल्लखी | सुगम |
| 43 | श्री भुवन राम विश्वकर्मा | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 मल्लाखायकोट | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 ढकनाबडोला | सुगम |
| 44 | श्रीमती मंजू जोशी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 दयारतोली | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 धौनरावत | सुगम |
| 45 | श्रीमती मोनू चंद देउपा | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 कोटअमोडी | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 फागपुर | सुगम |
| 46 | श्री जनार्दन खर्कवाल | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 बकोडा | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 सैलानीगोठ | सुगम |
| 47 | श्री अभिनंदन उपाध्याय | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 खौली | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 धूनाघाट | सुगम |
| 48 | श्री प्रकाश चन्द्र गढकोटी | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 शीलबरुडी | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 चंदनी | सुगम |
| 49 | श्रीमती प्रियका हरडिया | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 नरसिहडाडा | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 सल्ला | सुगम |
| 50 | श्रीमती नूरजहाँ | स0अ0 | रा0प्रा0वि0 महरपिनाना | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 छीनीगोठ | सुगम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित स0अ0 को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले स0अ0 नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित स0अ0 द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले स0अ0 के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी0एस0 बिष्ट)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)

चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या / प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2) / 13921403 / स्थाना0 / 2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
10. संबंधित स0अ0 को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत

आदेश सं०/प्रार०शि०(बेसिक)/ 84 /स्था०/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप/अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश (सुगम से दुर्गम) स०अ० प्रा०वि०

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में स०अ० राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के पदों पर कार्यरत निम्नांकित स०अ० (रा०प्रा०वि०) को तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के आधार पर स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क्र. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी |
|----------|--------------------------|------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | श्रीमती अंजू जोशी | स०अ० | रा०प्रा०वि० बनबसा | सुगम | रा०प्रा०वि० सलना | दुर्गम |
| 02 | श्रीमती नीलम चंद | स०अ० | रा०प्रा०वि० बेलबंदगोठ | सुगम | रा०प्रा०वि० दयारतोली चम्पा० | दुर्गम |
| 03 | श्रीमती सुनीता ओली | स०अ० | रा०प्रा०वि० पिल्खी | सुगम | रा०प्रा०वि० गल्लागांव | दुर्गम |
| 04 | श्रीमती रश्मि वर्मा | स०अ० | रा०प्रा०वि० कनेडी | सुगम | रा०प्रा०वि० बमनकूडा | दुर्गम |
| 05 | श्रीमती नीलम चंद | स०अ० | रा०प्रा०वि० बेलखेत | सुगम | रा०प्रा०वि० गजार | दुर्गम |
| 06 | श्रीमती मीना आगरी | स०अ० | रा०प्रा०वि० दुदपोखरा | सुगम | रा०प्रा०वि० पुल्लानवीन | दुर्गम |
| 07 | श्री अनुराधा उपाध्याय | स०अ० | रा०प्रा०वि० दियूरी कठौल | सुगम | रा०प्रा०वि० नौलापानी | दुर्गम |
| 08 | शीला पाटनी | स०अ० | रा०प्रा०वि० स्वांला | सुगम | रा०प्रा०वि० कोटअमोडी | दुर्गम |
| 09 | श्रीमती भगवती भट्ट | स०अ० | रा०प्रा०वि० गंगनौला | सुगम | रा०प्रा०वि० चौडला | दुर्गम |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित स०अ० को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये स०अ० के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले स०अ० नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।



5. स्थानान्तरित स0अ0 द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले स0अ0 के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी0एस0 बिष्ट) 15/3/22
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
 चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2)/ 1404-1464 /स्थाना0/2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित स0अ0 को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
 चम्पावत ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत

आदेश संख्या/प्रार0शि0(बेसिक)/ 85 / स्था0/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञाप/पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश स0अ0(उ0प्रा0वि0)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में स0अ0 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत् निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से पारस्परिक स्थानान्तरण उसी वेतनक्रम में स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क. सं. | अध्यापक/ अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी | अभ्युक्ति |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | श्री लक्ष्मण सिंह सामन्त | स0अ0 विज्ञान | रा0उ0प्रा0वि0 आमनी | दुर्गम | रा0उ0प्रा0वि0 स्वांला | सुगम | क्र0 सं0 02 के प्रति |
| 02 | श्री महेश चन्द्र | स0अ0 विज्ञान | रा0उ0प्रा0वि0 स्वांला | सुगम | रा0उ0प्रा0वि0 आमनी | दुर्गम | क्र0 सं0 01 के प्रति |
| 03 | श्री भुवन प्रकाश जोशी | स0अ0 सामान्य | रा0उ0प्रा0वि0 खूनाबोरा | सुगम | रा0उ0प्रा0वि0 जैगांव जैतोली | दुर्गम | क्र0 सं0 04 के प्रति |
| 04 | श्रीमती कमला जोशी | स0अ0 सामान्य | रा0उ0प्रा0वि0 जैगांव जैतोली | दुर्गम | रा0उ0प्रा0वि0 खूनाबोरा | सुगम | क्र0 सं0 03 के प्रति |
| 05 | श्री सतीश चन्द्र गहतोडी | स0अ0 विज्ञान | रा0उ0प्रा0वि0 चौडाराजपुरा | सुगम | रा0उ0प्रा0वि0 आमडा | दुर्गम | क्र0 सं0 06 के प्रति |
| 06 | श्री कमल किशोर गहतोडी | स0अ0 विज्ञान | रा0उ0प्रा0वि0 आमडा | दुर्गम | रा0उ0प्रा0वि0 चौडाराजपुरा | सुगम | क्र0 सं0 05 के प्रति |
| 07 | श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय | स0अ0 विज्ञान | रा0उ0प्रा0वि0 खूनाबोरा | सुगम | रा0उ0प्रा0वि0 जैगांव जैतोली | दुर्गम | क्र0 सं0 08 के प्रति |
| 08 | श्री प्रकाश चन्द्र उपाध्याय | स0अ0 विज्ञान | रा0उ0प्रा0वि0 जैगांव जैतोली | दुर्गम | रा0उ0प्रा0वि0 खूनाबोरा | सुगम | क्र0 सं0 07 के प्रति |
| 09 | श्री नरेश सिंह | स0अ0 विज्ञान | रा0उ0प्रा0वि0 राईकोटमहर | सुगम | रा0उ0प्रा0वि0 छुलापें | दुर्गम | क्र0 सं0 10 के प्रति |
| 10 | श्री अनिल कुमार | स0अ0 विज्ञान | रा0उ0प्रा0वि0 छुलापें | दुर्गम | रा0उ0प्रा0वि0 राईकोटमहर | सुगम | क्र0 सं0 09 के प्रति |
| 11 | श्री कुंवर सिंह | स0अ0 विज्ञान | रा0उ0प्रा0वि0 खतेडा | सुगम | रा0उ0प्रा0वि0 सेरान | दुर्गम | क्र0 सं0 12 के प्रति |
| 12 | श्री कीर्ति बल्लभ भट्ट | स0अ0 विज्ञान | रा0उ0प्रा0वि0 सेरान | दुर्गम | रा0उ0प्रा0वि0 खतेडा | सुगम | क्र0 सं0 11 के प्रति |

(Handwritten Signature)

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित स0अ0 को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये स0अ0 के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले स0अ0 नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित स0अ0 द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले स0अ0 के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देंगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।

(सी0एस0 बिष्ट) 14/5/22
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2)/1415-25/स्थाना0/2022-23 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत ।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत ।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत ।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ।
10. संबंधित स0अ0 को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।
11. कार्यालय गार्ड फाइल ।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चम्पावत

आदेश संख्या/प्रार0शि0(बेसिक)/ 86 / स्था0/2022-23 दिनांक 10 जुलाई, 2022


कार्यालय ज्ञाप/पारस्परिक स्थानान्तरण आदेश प्र0अ0(प्रा0वि0)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 के अर्न्तगत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 8 अप्रैल 2022 एवं शासनादेश संख्या/46628/2022 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 30-06-2022 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग में प्र0अ0 राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्र0अ0 का तत्काल प्रभाव से पारस्परिक स्थानान्तरण उसी वेतनक्रम में स्थानान्तरित किया जाता है:-

| क. सं. | अध्यापक/अध्यापिका का नाम | पद | वर्तमान तैनाती विद्यालय का नाम | वर्तमान तैनाती विद्यालय की श्रेणी | स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/विकास खण्ड | स्थानान्तरित विद्यालय की श्रेणी | अभ्युक्ति |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | श्रीमती लक्ष्मी बोहरा | प्र0अ0 | रा0प्रा0वि0 जैगांवजैतोली | दुर्गम | रा0प्रा0वि0 ललुवापानी | सुगम | क्र0 सं0 02 के प्रति |
| 02 | श्री कवीन्द्र सिंह तडागी | प्र0अ0 | रा0प्रा0वि0 ललुवापानी | सुगम | रा0प्रा0वि0 जैगांवजैतोली | दुर्गम | क्र0 सं0 01 के प्रति |

वार्षिक स्थानान्तरण 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे संबंधित प्रभारी तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करेंगे ।
2. स्थानान्तरित प्र0अ0 को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
3. स्थानान्तरित किये गये प्र0अ0 के द्वारा नव-तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अवमुक्त होने वाले प्र0अ0 नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे ।
5. स्थानान्तरित प्र0अ0 द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा । उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. अवमुक्त होने वाले प्र0अ0 के कारण यदि विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा है तो ऐसे अध्यापक नवीन तैनाती विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती विद्यालय में उपस्थिति देगे तत्पश्चात संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा व्यवस्था बनाये जाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त होंगे ।


 (सी0एस0 बिष्ट)
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
 चम्पावत

पृष्ठांकन संख्या/प्रा0शि0बेसिक(सेवायें-2)/ 1426-36 /स्थाना0/2022-23 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
7. सम्बन्धित उप कोषाधिकारी, चम्पावत।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत करायें साथ ही अध्यापक विहीन विद्यालय की व्यवस्था अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें
9. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
10. संबंधित प्र0अ0 को एक सप्ताह तक नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की सूचना उप शिक्षा अधिकारी को अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
11. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चम्पावत।